



**Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.**

(A Government of India Enterprises)

5<sup>th</sup> Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001  
Registered Office: 101 A, Rail Bhawan, New Delhi- 110001, Web: [www.dfccil.org](http://www.dfccil.org)

No. HQ/PIO/RTI/126/12

Dt: 27.08.2012

**Sh. Shakti Singh Chauhan**

Shakti Kunj, Near-Railway Line,  
Vyahwar Road, Subhash Nagar,  
Ajmer (Rajasthan)

**Sub:** Information under RTI Act- 2005

**Ref:** Your application dt: 07-07-2012, received on 08-08-2012.

उपरोक्त विषय में सम्बंधित विभाग द्वारा निम्न प्रकार से यह सूचित किया गया है:

- 5 (i) मदार से दौराई के मध्य DFC का ट्रैक चार राजस्व ग्रामों में से निकाला जाना है।
- 5 (ii) कल्याणीपुरा फ्लड एस्केप चैनल हेतु तकनीकी जानकारी जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार से सम्बंधित है। इस सन्दर्भ में सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। कल्याणीपुरा फ्लड एस्केप चैनल DFC हेतु भूमि अवाप्ति सम्बंधित रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी एवं उपखंड अधिकारी, अजमेर द्वारा RAA 2008 के अंतर्गत केंद्र सरकार को प्रदान की गई है। इस हेतु आप नियमानुसार अवलोकन व शुल्क जमा करवाकर इसकी प्रति प्राप्त कर सकते हैं।
- 5 (iii) मदार से दौराई के मध्य DFC ट्रैक की लम्बाई 10.07 की० मि० है। दौराई से मदार के DFC ट्रैक के संरेखन नक्शे व सम्बंधित रिकॉर्ड इस कार्यालय में उपलब्ध है जिनका आप अवलोकन कर, शुल्क जमा करवाकर प्रति प्राप्त कर सकते हैं।
- 5 (iv) DFC मालभाड़े के ट्रैक को निम्न नियमावतियों / संहिताओं / रिपोर्ट/ विशेष परिपत्रों के आधार पर अंतिम रूप दिया गया है

1. PETS रिपोर्ट
2. भारतीय रेल इंजीनियरिंग संहिता
3. भारतीय रेल कार्य नियमावली
4. भारतीय रेल पथ नियमावली
5. भारतीय रेल पुल नियमावली
6. भारतीय रेल ट्रैक नियमावली

n/c  
BESPATCH  
27/8

उपरोक्त की नियमानुसार अवलोकन कर प्रति प्राप्त कर सकते हैं। पश्चिमी मालभाड़े कोरिडोर पर JICA द्वारा Funding प्रस्तावित है, इस सम्बन्ध में जानकारी हमारी अधिकृत वेबसाइट dfc.org.in पर उपलब्ध है।

5 (v & vi) उपरोक्त प्रश्न में वर्णित सूचना/ सम्बन्धी रिकॉर्ड व् उपलब्ध संरेखन नक्शों का नियमानुसार अवलोकन कर प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

DFC ट्रैक का प्रस्तावित ट्रैक वर्तमान में रेलवे मालभाड़े के लिए कार्यरत मदार- दौराई ट्रैक के समानान्तर साथ- साथ बनाया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु सक्षम प्राधिकारी एवं उपखंड अधिकारी अभीनिर्णय अवाई जारी किया जा चुका है। इसकी सूचना हेतु आप अभीनिर्णय अवाई की प्रति का नियमानुसार अवलोकन कर प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

5 (vii) यदि RTI Act की धारा 8 (d) एवं 8 (j) के अंतर्गत न आती हो तो आप अवाप्ति की गई भूमि एवं पूर्व में उपलब्ध रेलवे की भूमि का अंकन, इस कार्यालय में उपलब्ध भूमि अवाप्ति के नक्शों में दर्शाया गया है, जिनका आप नियमानुसार अवलोकन कर प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

5 (viii) यदि RTI Act की धारा 8 (d) एवं 8 (j) के अंतर्गत न आती हो तो आप मदार से दौराई एवं व्यावर तक भूमि अवाप्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर, मसूदा एवं व्यावर ने अपने अधिकार क्षेत्र हेतु अभीनिर्णय अवाई जारी कर दिए हैं। इस सूचना हेतु आप अभीनिर्णय अवाई की प्रति नियमानुसार अवलोकन कर प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

5 (ix) प्रश्न में वर्णित सूचना हेतु "राशी सम्बंधित सक्षम अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी को अभीनिर्णय एवं अवाई अनुसार जमा करवा दी गई है।"

5 (x) इस प्रकार की कोई सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

5 (xi) प्रश्न का जवाब प्रश्न संख्या- 2 के जवाब में समाहित है।

5 (xii) अलग- अलग वाहन की अलग- अलग फाइल है, आप सीपीएम / अजमेर के कार्यालय में जाकर अवलोकन कर सकते हैं। तथा इच्छित जानकारी नियमानुसार प्राप्त कर सकते हैं।

5 (xiii) इस प्रकार की कोई सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

  
(Rajiv Bhatnagar)  
DGM/PIO

**Copy to: CPM/Ajmer**